



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240344
CG-DL-E-16112022-240344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5089]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 5089]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5309(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1667 (अ), दिनांक 24 जुलाई 2012 द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 के 211.200 कि.मी. से 336.815 कि.मी. (बीरमित्रपुर-बरकोटे खंड) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर संशोधित (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का. आ. 3236 (अ), दिनांक 23 अक्टूबर 2013 का अधिक्रमण करते हुए ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 (नया एनएच-143) के ब्रह्मणी बाईपास से राजमुंदा खंड के डिज़ाइन कि.मी. 240.350 से कि.मी. 287.200 और ब्रह्मणी बाईपास के डिज़ाइन कि.मी. 0.100 से कि.मी. 3.300 और बीरमित्रपुर-ब्रह्मणी बाईपास खंड के डिज़ाइन कि.मी. 216.200 से कि.मी. 237.100 तक चार लेन के प्रयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 60.0432 कि.मी. और 12.798 कि.मी (जिनकी लंबाई 1.2798 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 100% और बाईपास जिनकी लंबाई 9.727 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिया जाने वाला एवं संग्रहीत किया जाने वाला शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
ओडिशा राज्य के सुंदरगढ जिले में दारजिंग गांव के निकट एनएच-143 (पुराना एनएच-23) के 280.215 डिजाइन किमी पर	60.0432 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	आरंभ होते हुए	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
ओडिशा राज्य के सुंदरगढ जिले में दारजिंग गांव के निकट एनएच-143 (पुराना एनएच-23) के 280.215 डिजाइन किमी पर	एनएच-143 (पुराना एनएच-23) का करमुंडा बाईपास	डिजाइन कि.मी. 228.200	डिजाइन कि.मी. 231.500	3.300	12.5	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-143 (पुराना एनएच-23) का ब्रह्मणी बाईपास	डिजाइन कि.मी. 0.100	डिजाइन कि.मी. 3.300	2.727	25.390	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

	एनएच-143 (पुराना एनएच-23) का लथिकटा बाईपास	डिजाइन कि.मी. 252.100	डिजाइन कि.मी. 255.800	3.700	31.970	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-------	--------	---

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
ओडिशा राज्य के सुंदरगढ जिले में दारजिंग गांव के निकट एनएच-143 (पुराना एनएच-23) के 280.215 डिजाइन किमी पर	1.2798 [^]	12.798	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]ब्योरा इस प्रकार है:

	(चैनेज)		ढांचे का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	233.7440	234.0001	बड़ा पुल	0.2561
2	235.6640	235.9160	फ्लाईओवर	0.2520
3	1.9740	2.4470	बड़ा पुल	0.4730
4	251.8120	251.9050	बड़ा पुल	0.0930
5	272.0906	272.2274	बड़ा पुल	0.1368
6	280.9826	281.0515	बड़ा पुल	0.0689
कुल				1.2798

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	अनुमत्ये एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दर प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1378.98 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/22-23/शुल्क अधिसूचना/वीरमित्रपुर-ब्रह्मणी बाईपास अंत-राजमुंदा खंड पीएफ]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5309(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1667(E) dated 24th July 2012 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 211.200 to km 336.815 (Birimtrapur – Barkote Section) of National Highway No. 23 in the State of Odisha to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of the notification bearing No S.O. 3236(E) dated 23rd October 2013, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 60.0432 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 12.798 km (having structure length 1.2798 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 9.727 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane from Design Km.216.200 to Km.237.100 of Biramitrapur – Brahmani Bypass end section and Design km 0.100 to km 3.300 of Brahmani Bypass and from Design km 240.350 to km 287.200 of Brahmani Bypass to Rajamunda Section of National Highway No 23 (New NH-143) in the State of Odisha and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design km 280.215 of NH-143 (Old NH-23) near Village Darjing in Sundergarh District of Odisha.	60.0432 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

TABLE-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design km 280.215 of NH-143 (Old NH-23) near Village Darjing in Sundergarh District of Odisha.	Karmunda Bypass of NH-143 (Old NH-23)	Design km 228.200	Design km 231.500	3.300	12.5	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Brahmani Bypass of NH-143 (Old NH-23)	Design km 0.100	Design km 3.300	2.727	25.390	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Lathikata Bypass of NH-143 (Old NH-23)	Design km 252.100	Design km 255.800	3.700	31.970	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design km 280.215 of NH-143 (Old NH-23) near Village Darjing in Sundergarh District of Odisha.	1.2798 ^	12.798	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures is as under:—

	Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From Km.	To Km.		
1	233.7440	234.0001	Major Bridge	0.2561
2	235.6640	235.9160	Fly Over	0.2520
3	1.9740	2.4470	Major Bridge	0.4730
4	251.8120	251.9050	Major Bridge	0.0930
5	272.0906	272.2274	Major Bridge	0.1368
6	280.9826	281.0515	Major Bridge	0.0689
Total				1.2798

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

TABLE-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1378.98 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/22-23/Fee Notification/Biramitrapur-Brahmani Bypass end-Rajamunda Section(PF)]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.